

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 785]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 2015

सा.का.नि. 972(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 143 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में (जिसे यहां इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) :-
 - (i) नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम बनाया जाता है, अर्थात् :-

“13. लेखापरीक्षक द्वारा कपटों की रिपोर्ट करना और अन्य मामले – (1) यदि किसी कंपनी में, लेखापरीक्षक के क्रम में कानूनी लेखापरीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यह विश्वास के पर्याप्त कारण हैं कि कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध एक करोड़ रूपए या अधिक राशि अंतर्वलित करने का कपट का कोई अपराध किया जा रहा है या किया गया है, तो वह लेखापरीक्षक इसकी सूचना केंद्रीय सरकार को देगा।

(2) लेखापरीक्षक मामले की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को निम्नानुसार देगा:-

- (क) लेखापरीक्षक कपट की जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत, परंतु दो दिन से अपश्चात् अपनी रिपोर्ट बोर्ड अथवा लेखापरीक्षा समिति, यथास्थिति, पैंतालीस दिन के भीतर उनके उत्तर और संप्रेक्षण प्राप्त करने के लिए भेजेगा;

- (ख) ऐसे उत्तर अथवा टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् लेखापरीक्षक, अपनी रिपोर्ट और बोर्ड अथवा लेखापरीक्षा समिति के उत्तर और टिप्पणियां उस पर अपनी टिप्पणी सहित (बोर्ड अथवा लेखापरीक्षा समिति के ऐसे उत्तर और टिप्पणियों पर) ऐसे उत्तर अथवा टिप्पणियां प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।
- (ग) यदि, लेखापरीक्षक अनुबद्ध पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड अथवा लेखापरीक्षा समिति के उत्तर अथवा टिप्पणियां प्राप्त करने में सफल नहीं होता है तो वह केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट बोर्ड अथवा लेखापरीक्षा समिति को पहले अग्रेषित की गई अपनी रिपोर्ट के व्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक टिप्पण के साथ अग्रेषित करेगा जिसमें वह बताएगा कि विहित समय में उनसे उत्तर अथवा टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं।
- (घ) रिपोर्ट रसीदी रजिस्ट्री डाक या त्वरित डाक द्वारा मुहरबंद लिफाफे में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजी जाएगी और उसके बाद ई-मेल द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी;
- (ङ) यह रिपोर्ट लेखापरीक्षक के शीर्षनामा पर होगी जिसमें डाक पता, ई-मेल पता और दूरभाष संख्या या मोबाइल संख्या लिखी होगी तथा यह लेखापरीक्षक द्वारा उसकी मुहर सहित हस्ताक्षरित होगी तथा उसकी सदस्यता संख्या उपदर्शित की जाएगी; और
- (च) रिपोर्ट प्ररूप एडीटी-4 में यथाविनिर्दिष्ट एक विवरण के प्ररूप में होगी।

(3) यदि कपट में लगी राशि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राशि से कम है तो लेखापरीक्षक धारा 177 के तहत गठित लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को कपट की जानकारी तुरंत, किंतु दो दिन से अधिक नहीं, मामले की रिपोर्ट देगा और वह मामले की निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रिपोर्ट देगा-

(क) वर्णन सहित कपट की प्रकृति;

(ख) अंतर्वर्तित अनुमानित राशि; और

(ग) अंतर्वर्तित पक्ष

(4) वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड को उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट किया गया प्रत्येक कपट में निम्नलिखित विवरण का प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट में करना होगा:-

(क) व्यौरा सहित कपट की प्रकृति;

(ख) अंतर्वर्तित अनुमानित रकम;

(ग) अंतर्वर्तित पक्ष, यदि उपचारी कार्रवाही नहीं की गई है; और

(घ) की गई उपचारी कार्रवाहियां।

(5) इस नियम के उपाबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित, धारा 148 और धारा 204 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय क्रमशः लागत लेखापरीक्षक और सचिवालय लेखापरीक्षक पर भी लागू होंगे।”;

(ii) मूल नियमों के प्ररूप संख्या एडीटी-4 में,-

(क) पंक्ति 3 में, शब्द, अंक और कोष्ठकों “नियम 13(4)” के लिए शब्द, अंक, वर्ण और कोष्ठक “नियम 13(2)(च)” रखे जाएंगे; और

(ख) पंक्ति-24 में मद संख्या (10) में शब्द, अंक और कोष्ठक “नियम 13(1)” के लिए शब्द, अंक, वर्ण और कोष्ठक “नियम 13(2)(क)” रखे जाएंगे।

[फाइल संख्या 1/33/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, सा.का.नि. 246(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि. 722(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2014 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2015

G.S.R. 972(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 143 read with sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules),-

(i) For rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

“13. Reporting of frauds by auditor and other matters: (1) If an auditor of a company, in the course of the performance of his duties as statutory auditor, has reason to believe that an offence of fraud, which involves or is expected to involve individually an amount of rupees one crore or above, is being or has been committed against the company by its officers or employees, the auditor shall report the matter to the Central Government.

(2) The auditor shall report the matter to the Central Government as under:-

(a) the auditor shall report the matter to the Board or the Audit Committee, as the case may be, immediately but not later than two days of his knowledge of the fraud, seeking their reply or observations within forty-five days;

(b) on receipt of such reply or observations, the auditor shall forward his report and the reply or observations of the Board or the Audit Committee along with his comments (on such reply or observations of the Board or the Audit Committee) to the Central Government within fifteen days from the date of receipt of such reply or observations;

(c) in case the auditor fails to get any reply or observations from the Board or the Audit Committee within the stipulated period of forty-five days, he shall forward his report to the Central Government along with a note containing the details of his report that was earlier forwarded to the Board or the Audit Committee for which he has not received any reply or observations;

(d) the report shall be sent to the Secretary, Ministry of Corporate Affairs in a sealed cover by Registered Post with Acknowledgement Due or by Speed Post followed by an e-mail in confirmation of the same;

(e) the report shall be on the letter-head of the auditor containing postal address, e-mail address and contact telephone number or mobile number and be signed by the auditor with his seal and shall indicate his Membership Number; and

(f) the report shall be in the form of a statement as specified in Form ADT-4.

(3) In case of a fraud involving lesser than the amount specified in sub-rule (1), the auditor shall report the matter to Audit Committee constituted under section 177 or to the Board immediately but not later than two days of his knowledge of the fraud and he shall report the matter specifying the following:-

- (a) Nature of Fraud with description;
- (b) Approximate amount involved; and
- (c) Parties involved.

(4) The following details of each of the fraud reported to the Audit Committee or the Board under sub-rule (3) during the year shall be disclosed in the Board's Report:-

- (a) Nature of Fraud with description;
- (b) Approximate Amount involved;
- (c) Parties involved, if remedial action not taken; and
- (d) Remedial actions taken.

(5) The provision of this rule shall also apply, *mutatis mutandis*, to a Cost Auditor and a Secretarial Auditor during the performance of his duties under section 148 and section 204 respectively.”;

(ii) In the principal rules, after rule 14 and before FORM NO. ADT-1, insert the word “Annexure”;

(iii) In the principal rules, in Form No. ADT-4,-

(A) in line 3, for the word, figures and brackets “rule 13(4)”, the word, figures, letter and brackets “rule 13(2)(f)” shall be substituted; and

(B) in line 25, in item No. (10), for the word, figures and brackets “rule 13(1)”, the word, figures, letter and brackets “rule 13(2)(a)” shall be substituted.

[F. No. 1/33/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended *vide* G.S.R. 722(E) dated 14th October, 2014.